

उत्तर प्रदेश शासन  
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2  
संख्या- 238 /सोलह-2-2023  
लखनऊ दिनांक 16 जनवरी, 2023

नियुक्ति/विज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आचार पर श्री इंतैखाव कादरी पुत्र श्री जफरुल हक, स्थायी पता-बाखोटोली, जिरंगाछ, किशनगंज, बिहार-855116 (लोक सेवा आयोग का क्रमांक-31) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण के पद पर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत वेतनमान प्रविष्टि वेतन 56,100, लेवल-9क एवं प्रविष्टि वेतन 57,700, लेवल-10 (लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता स्नातक अथवा पुरास्नातक के अनुसार) में अस्थायी रूप से शासनादेश संख्या-04/2021/1/2011-का-4-2021, दिनांक 29.04.2021 में निहित व्यवस्थानुसार औपबन्धिक रूप से राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर, कानपुर में नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त सेवा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली 2021 में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (2) संबंधित कार्मिक, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू है, की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अर्हति पर रहेंगे तथा व्याख्याता पद को पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।
- (3) संबंधित कार्मिक का चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जा रहा है। यदि उक्त सत्यापन में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधि शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर संबंधित कार्मिक के अनिवार्य योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय से करा लेंगे और यदि संबंधित कार्मिक के मूल अभिलेख नुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाते हैं, तो उक्त कार्मिक के विरुद्ध संगत धाराओं में विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को 06 माह के अन्दर अवगत करायेंगे। तदोपरान्त उक्त कार्मिक के नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
- (5) संबंधित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। संबंधित कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (6) यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-475(डी)आफ 2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सुभाष चन्द शर्मा  
प्रमुख सचिव।